चुनाव खर्च हेतू: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि आपके उम्मीदवार ने अपने चुनाव खर्च का गलत विवरण दायर किया है तो आपको क्या करना चाहिए?

1. चुनाव खर्च क्या होता है?

हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय का विवरण देना आवश्यक है। ये खर्च उस चुनाव से संबंधित है जिस चुनाव में उम्मीदवार लड़ रहा है। उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय का विवरण, चुनाव परिणाम से तीस दिन के अंदर, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रसतुत करना अनिवार्य है। यह विवरण, नामांकन के दिन से परिणाम की घोषणा के दिन तक, उम्मीदवार और उसके एजेंट द्वारा करे हुए चुनाव खर्च की सहीप्रतिलिपि होनी चाहिए।

2. चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा क्या है?

चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा, चुनाव विशेष पर आधारित होती है। हाल ही में संपनन 5 राज्यों में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा इस प्रकार थी :

पंजाब, यूपी – 16 लाख, उत्तराखण्ड–11 लाख, मनीपुर, गोआ – 8 लाख

3. उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च न दायर किये जाने पर क्या होता है?

यदि किसी उम्मीदवार ने अपना चुनाव खर्च दायर नहीं किया है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा, तीन साल के लिए चुनाव लड़ने हेतू आयोग्य ठहराया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुभाग 10A में इस प्रावधान का वर्णन किया गया है।

4. यदि उम्मीदवार ने अपना चुनाव खर्च, वास्तविक चुनाव खर्च से कम दिखाया है, तो क्या होता है?

यदि कोई नागरिक यह साबित कर सकता है कि किसी उम्मीदवार ने अपना चुनाव खर्च वास्तविक चुनाव खर्च से कम दिखाया है या अपने चुनाव खर्च को कम आंका है, तो उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर हो सकती है। उम्मीदवार द्वारा खर्च को वास्तविक चुनाव खर्च से कम दिखाना एक भ्रष्ट प्रथा है और इस आधार पर चुनाव याचिका दायर करी जा सकती है।

5. यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च करा हो तो?

उम्मीदवार को चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं है। "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम" के अनुभाग 123(6) के तहत, चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च करना भ्रष्ट प्रथा है। उम्मीदवार के विरुद्ध याचिका दायर करे जाने के अलावा "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम" के अनुभाग 10 A के तहत वह तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

6. चुनाव याचिका दायर करने के लिए कौन योग्य है?

किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव याचिका, केवल उस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए उम्मीदवार या उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता दायर कर सकते हैं। मतदाता वह है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार है जिस चुनाव से संबंधित याचिका दायर करी जा रही है। चाहे चुनाव याचिका कर्ता ने मतदान किया हो या नहीं, यह सारहीन है (लोक प्रतिनिधित्व) अधिनियम के अनुभाग 81(1) के तहत)

7. चुनाव याचिका कब और कहाँ दायर करनी होती है?

चुनाव परिणाम की घोषणा से 45 दिनों के अंदर, चुनाव याचिका दायर करी जा सकती है। यह याचिका उस राज्य के उच्च न्यायालय में दायर करनी होती है जिस राज्य के चुनाव से संबंधित याचिका दायर की जा रही है।

8. चुनाव याचिका में किन बातों का विवरण आवश्यक है?

चुनाव याचिका में निवेदक को अपने लगाए हुए भ्रष्ट प्रथा के आरोपों को विस्तार रूप में सबूत सहित प्रस्तुत करने होते हैं। निवेदक को आरोपियों के नाम, भ्रष्ट प्रथा से संबंधित तारीख एवं जगह का वर्णन करना होता है। चुनाव याचिका पर निवेदक के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं और साथ ही साथ भ्रष्ट प्रथा के आरोपों के समर्थन में एक शपथ पत्र दायर करना भी जरूरी होता है।

http://lawmin.nic.in/legislative/election/volume%202/conduct%20of%20election%20rules,%201961.pdf)

9. चुनाव याचिका दायर करने में कितना खर्च आता है?

राज्यों के उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, निवेदक को 2000 रुपये जमा करने होते हैं। किंतु चुनाव याचिका दायर करने का खर्च हर एक उच्च न्यायालय के नियमों पर निर्भर होता है।

10. चुनाव याचिकाओं के कुछ उदाहरण :

- अशोक चवन के विरुद्ध, 2009 चुनावों के दौरान समाचार विज्ञापनों पर हुए खर्च को कम आंकने के आरोप के आधार पर याचिका दायर करी गई है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा, उमलेश यादव (महिला विधायक, यू.पी.) को गलत चुनाव खर्च दायर करने के लिए, आयोग ठहराया गया।
- इंदिरा गांधी के विरुद्ध, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं में हिस्सा लेने के लिए चुनाव याचिका दायर हुई थी, जिस कारण 6 साल के लिए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी।
- चिदम्बरम के विरुद्ध, भ्रष्ट प्रथाओं में हिस्सा लेने के लिए और वोटों की हेरा फेरी करने के आधार पर चुनाव याचिका दायर करी गई है।